अध्याय तृतीय

लेनदेनों की लेखा परीक्षा कंडिकाएं

3.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किए गये अनुदान पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्यों की संचित निधि आवर्धन हेतु आवश्यक उपायों के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसायें की गई। इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग ने नगरीय स्थानीय निकायों को सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है । इन अनुदानों के अतिरिक्त उन राज्यों के लिए, जो इसकी जारी करने की शर्तो को पूरा करते हैं उनके लिए वर्ष 2011-12 निष्पादन अनुदान उपलब्ध होगा । अनुदान के चार उप संवर्ग हैं–

(i) सामान्य मूल अनुदान
(ii) सामान्य निष्पादन अनुदान
(iii) विशेष क्षेत्र मूल अनुदान
(iv) विशेष क्षेत्र नि पादन अनुदान

केन्द्र सरकार से मध्य प्रदेश शासन को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2011–12 में प्राप्त अनुदान का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग की वर्ष 2011–12 के अनुदान जारी एवं उपयोग किए जाने की जानकारी वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगर पालिक निगम सागर तथा सागर एवं मंडला जिले की नगर पालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से प्राप्त की गयी। अनुदान के प्राप्ति एवं उनके उपयोग पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है–

3.1.1 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान देरी से जारी किया जाना

तेरहवें वित्त आयोंग के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 5.1 तथा 6.2 के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों जुलाई एवं जनवरी में जारी की जाना था। अनुदान की कोई भी किश्त पूर्व में जारी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी होना था । केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पैरा 7.5 के अनुसार राज्य का वित्त सचिव, प्रत्येक किश्त जारी होने के 10 दिवस के भीतर, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान को जारी किए जाने की राशि एवं दिनांक दर्शाते हुए, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा ।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के अभिलेखों के परीक्षण (अगस्त 2012) में देखा गया कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से संबंधित अनुदान राशि ₹ 122.91 करोड़ (सामान्य मूल अनुदान के द्वितीय किश्त की राशि ₹ 88.94 करोड़, विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि ₹ 3.94 करोड़ (₹1.97 करोड़ प्रत्येक) एवं ₹ 30.03 करोड़ सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त) 51 से 244 दिन विलंब से जारी किये गये। जिसका विवरण **तालिका क्र. 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका क्र.–3.1

सरल क0	विवरण	केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान जारी करने का निर्धारित दिनांक	केन्द सरकार द्वारा जारी किया गया अनुदान		जारी किए जाने में विलंब (दिवस)	केन्द्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति
			दिनांक	राशि (₹ लाख में)		
1	सामान्य मूल अनुदान–II	जनवरी 2012	03.09.2012	8894	216[1]	अप्रस्तुत
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–I	जुलाई 2011	8.12.2011	197	130[2]	13.1.2012
3	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–II	जनवरी 2012	22.03.2012	197	51[3]	30.5.2012
4	सामान्य निष्पादन अनुदान–I	जुलाई 2011	31.03.2012	3003	244[4]	30.5.2012

आपत्ति इंगित किए गये (जनवरी 2013), आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से उत्तर प्रतीक्षित है। मई 2013 में पुनः अद्यतन स्थिति चाही गई थी परंतु उत्तर प्रतीक्षित रहा।

3.1.2 अनुदान को विलंब से स्थानांतरित किए जाने के कारण दायित्वों का निर्माण होना

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के पैरा 4.2 के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि राज्य शासन द्वारा आसानी से बैकिंग सुविधा उपलब्ध होने पर नगरीय स्थानीय निकायों को पांच दिवस के भीतर हस्तांतरित करनी थी। अनुदान हस्तांतरण में निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर राज्य शासन को विलंबित अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से किश्त के साथ ब्याज का भी भुगतान करना था ।

वित्त विभाग तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में अनुदान, निर्धारित अवधि मे जारी नही किया गया। जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका क्र–3.2

(₹ लाख में)

सरल कमांक		अनुदान का नाम	केन्द्र सरकार से प्राप्त		कोषालय से आहरण		नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरण		निर्धारित अवधि के बाद अंतरित	
			दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	विलंब दिनों में	ब्याज की राशि[5]
1		सामान्य मूल अनुदान–I	6.7.2011	8710	11.8.2011	8710	17.8.11	8710	37	52.98[6]
2		विशेष क्षेत्र मूल अनुदान–I	8.12.2011	197	14.12.2011	197	15.12.11	197	02	0.06[7]
3		सामान्य मूल अनुदान.II	3.9.2012	8894	13.9.2012	8894	13.9.12	8894	05	11.57[8]
4		सामान्य निष्पादन अनुदान (व्ययपगत)	31.3.2012	2744	7.4.2012	2744	9.4.12	2744	04	2.86[9]
									योग	**67.47**

स्त्रोत : वित्त विभाग तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

---

1 सामान्य मूल अनुदान II=29+31+30+31+30+31+31+3=216

2 विशेष क्षेत्र मूल अनुदान I= 31+30+31+30+8=130

3 विशेष क्षेत्र मूल अनुदान II= 29+22=51

4 सामान्य निष्पादन अनुदान I=31+30+31+30+31+31+29+31=244

5 रिजर्व बैंक की बैंक दर दिनांक 13.2.2012 से संशोधित कर 6 से 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष किया गया, ब्याज की गणना उसी अनुसार की गई है।

6 ₹ 8710× 6X37÷100×365=52.98 लाख

7 ₹197× 6X2÷100 × 365=0.06 लाख

8 ₹8894 × 9.5 X 5 ÷100 × 365=11.57 लाख

9 ₹2744× 9.5 X 4 ÷100 × 365=2.86 लाख

तालिका कमांक 3.2 में देखा जा सकता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान 2 से 37 दिनों के विलंब से अंतरित किया गया । केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग को भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से नगरीय स्थानीय निकायों को ₹ 67.47 लाख ब्याज भुगतान करना पड़ेगा।

प्रकरण फरवरी 2013 में ध्यान में लाया गया, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का उत्तर प्रतीक्षित रहा ।

3.1.3 वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार अनुदान की कोई भी किश्त पूर्व में जारी किश्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी किया जाना था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के अभिलेखों की समीक्षा (अगस्त 2012) में हमने देखा कि अनुदान के आवंटन एवं जारी किए जाने की जानकारी, नगरीय निकायों को अनुदान की संपूर्ण राशि अंतरित किए जाने के उपरांत, वित्त विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र के रूप में प्रेषित की गई थी । जबकि नौ नमूना जाँच किये गये नगरीय निकायों के अभिलेखों की समीक्षा में हमने देखा कि ₹ 8.61 करोड़ (₹ 2.44 करोड पूर्व वर्ष तथा ₹ 6.17 करोड़ चालू वर्ष का) में से ₹ 4.66 करोड़ 2011–12 के दौरान बिना व्यय के अवरूद्व थे। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है। हमने आगे देखा कि नमूना जांच की गई नगरीय निकायों में से किसी ने भी निधियों का वास्तविक उपयोग नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को प्रतिवेदित नही किया था । अतः यह स्पष्ट है कि पूर्व में जारी अनुदान के वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही अनुदान की आगामी किश्त जारी की गई थी ।

इस संबंध में इंगित (दिसंबर 2012) किए जाने पर, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बताया कि वास्तविक व्यय की जानकारी संभागीय कार्यालयों से एकत्रित की जा रही है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर हीं वास्तविक व्यय का संकलन किया जायेगा।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि पूर्व में जारी अनुदान के वास्तविक व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अनुदान की आगामी किश्त जारी की गई।

3.1.4 निगरानी एवं मूल्यांकन का अभाव

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के पैरा 9.1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति गठित की जायेगी, जिसमें वित्त सचिव एवं संबंधित विभागों के सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे। उक्त समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि अनुदान के प्रत्येक वर्ग के लिए, जहां आवश्यक हो, निर्धारित शर्तो का पालन सुनिश्चित कराएगी।

तेरहवें वित्त आयोग की दिशा निर्देशों के परिपालन में वित्त विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति जुलाई 2010 में गठित की गई थी । उच्च स्तरीय निगरानी समिति की, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में, न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जानी थी ।

यह देखा गया कि दिसंबर 2012 तक आवश्यक 10 बैठकों में से केवल चार बैठकें आयोजित की गई थी जो निगरानी की कमी को दर्शाती है।

3.1.5 निष्कर्ष

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से राज्य शासन को प्राप्त स्थानीय निकाय अनुदान निर्धारित अवधि में नगरीय स्थानीय निकायों को अंतरित नही किया गया, जिसके कारण राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को देय ब्याज ₹ 67.47 लाख का दायित्व वर्ष 2011–12 में निर्मित हुआ।

(पैरा 3.1.2)

- संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों से वास्तविक व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही केन्द्र सरकार को अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गये।

(पैरा 3.1.3)

3.2 विद्युत बिल पर परिहार्य अधिभार राशि ₹ 1.23 करोड़

उज्जैन नगर पालिक निगम द्वारा विद्युत बिलों के नियमित भुगतान न करने से निगम को ₹1.23 करोड़ अधिभार का वहन करना पडा।

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 88 मे निहित है कि निगम निधि का उपयोंग सर्व प्रथम ऋणों के भुगतान के लिए किया जायेगा उसके पश्चात निगम पर अधिरोपित दायित्वों की पूर्ति करने लिए किया जायेगा ।

नगर पालिक निगम उज्जैन के विद्युत देयकों की समीक्षा (जनवरी 2012) में देखा गया कि दो विद्युत कनेक्शनों[10] के विद्युत देयकों का नियमित भुगतान जुलाई 2009 से नहीं किया गया । मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने जुलाई 2009 से फरवरी 2012 तक की अवधि के मध्य राशि ₹ 1.23 करोड़ का अधिभार अधिरोपित किया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.3** तथा **3.4** में दर्शित है ।

आगे हमने पाया (फरवरी 2013) कि नगर पालिक निगम उज्जैन तथा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिभार सम्मलित करते हुये ऊर्जा प्रभार की कुल देय राशि ₹ 5.74 करोड़[11] (मार्च से अप्रैल 2012) के विरूद्व मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को वास्तविक देय राशि का आंकलन किए बिना हीं राशि ₹ 6.38 करोड़[12] का भुगतान किया गया । हमने देखा कि उज्जैन नगर पालिक निगम तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में आपसी सामंजस्य की कमी होने के कारण ₹ 64 लाख का अधिक भुगतान मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को किया गया (भुगतान की गई राशि ₹ 6.38 करोड़ – वास्तविक देय राशि ₹ 5.74 करोड़)।

---

10 कनेक्शन क्र.502022 या सरचार्ज ₹0.36 करोड़ तथा कनेक्शन क्र. 502023 पर सरचार्ज ₹0.87 करोड़।

11 कनेक्शन क्र. 502022 के ₹ 1.41 करोड़ तथा कनेक्शन क्र. 502023 के ₹ 4.33 करोड़।

12 नगर पालिक निगम उज्जैन राशि ₹ 3.20 करोड़ का भुगतान चैक क्र. 094024 तथा 094056 क्रमशः दिनांक 27.3.12 एवं 31.3.12 के द्वारा किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ₹ 1.59 करोड़ का भुगतान फरवरी से अप्रैल 2012 के दौरान तथा ₹1.59 करोड़ सम्पत्तिकर एवं जल कर जो म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. उज्जैन को देय राशि के विरूद्व समायोजित किये गये।

इस संबंध में आपत्ति इंगित किए जाने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (अप्रैल 2013) और उल्लेख किया गया कि नगर पालिक निगम उज्जैन के पास पर्याप्त निधि न होने के कारण उन्हें राशि ₹ 1.23 करोड़ का अधिभार वहन करना पडा, अधिक भुगतान राशि ₹ 64 लाख का भविष्य में समायोजन कर लिया जायेगा।

प्रकरण शासन को (जून 2012, जनवरी 2013 तथा मई 2013) भेजा गया, उत्तर अप्राप्त रहा।

3.3 अस्थाई परियोजना के लिए परिहार्य दायित्व ₹ 15.67 करोड़

नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा अस्थाई परियोजना के लिए ऋण प्राप्त कर उसे सहायता अनुदान में परिवर्तित कराने के प्रयास न करने के कारण राशि ₹ 15.67 करोड़ के दायित्व का निर्माण

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 102 (1)(iv)(i) के अनुसार स्थायी निर्माण कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी निर्माण कार्य के लिए कोई ऋण नहीं लिया जायेगा, शासन के मतानुसार इसके अंतर्गत कोई भी कार्य जिसका उपयोग वर्षों तक किया जा सके, शामिल किया जाएगा।

उज्जैन नगर में वर्ष 2008 में सूखे के कारण जल की कमी की पूर्ति के लिए निरंतर जल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त, राजस्व, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा आयुक्त राज्य के आपदा प्रबन्धन के साथ (दिसंबर 2008) एक बैठक आहूत की गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल परिवहन के लिए आपदा सहायता कोष से राशि ₹ 3.40 करोड़ स्वीकृत किया जायेगा तथा अमलावदाबिका बैराज से गंभीर अंबोडिया शुद्विकरण संयत्र तक अस्थाई सेवाओं के लिए पाईप लाईन बिछाने हेतु नगर पालिक निगम उज्जैन को राशि ₹ 12.22 करोड ऋण के रूप में स्वीकृत किये जायेंगे। यह भी निर्णय लिया गया था, कि ऋण की राशि बाद में अनुदान के रूप में परिवर्तित किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अमलावदाबिका जल आपूर्ति परियोजना के अभिलेखों के परीक्षण (जनवरी 2012) में देखा गया कि अमलावदाबिका बैराज से गंभीर अंबोडिया शुद्विकरण संयत्र तक 0.71 एमसीएफटी (22.50 एमएलडी) कच्चा पानी प्रतिदिन ले जाने के लिए 23.6 किलोमीटर लंबी पाईप लाईन बिछाने हेतु नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा (दिसंबर 2008) निविदाएं आमंत्रित की गई। जल के परिवहन के लिए एक अस्थाई इंटेक वेल पंप/मोटर, विद्युत सबस्टेशन का निर्माण अस्थाई तथा विद्युत लाईन, ट्रांसफर्मर, जनरेटर आदि का निर्माण एवं स्थापना केवल चार माह के लिये किए गये थे। उपर्युक्त मदों पर राशि ₹14.74 करोड़[13] व्यय कर परियोजना को पूर्ण कर दिनांक 7.4.2009 को प्रारंभ किया गया था।

[13] ऑपरेटिंग पम्प सहित जी.आर.पी पाईप लाईन बिछाने एवं जोड़ने पर ₹12.61 करोड़, 24 कि.मी. तक 33 के बी के विद्युत लाईन, सब स्टेशन तथा एल.टी पैनल पर ₹ 1.28 करोड़ और डी.जी.सेट किराया, ऊर्जा प्रभार अस्थाई विद्युत कनेक्शन एवं डीजल पर ₹ 0.85 करोड़ व्यय किया गया।

नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा उक्त परियोजना से केवल तीन माह तक (08.04. 2009 से 30.06.2009) सेवाऐं ली गई। उसके पश्चात नगर पालिक निगम द्वारा जनवरी 2012 तक जल आपूर्ति में इसकी सेवाऐं नहीं ली जानी पाई गई।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर (जनवरी 2012), आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन ने स्वीकार किया (जनवरी 2012) कि यह कार्य एक अस्थाई प्रकृति का था तथा बताया कि ऋण को अनुदान में परिवर्तन कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

हमनें परियोजना की उपयोगिता का पुनः सत्यापन करने पर (फरवरी 2013) पाया कि परियोजना का उपयोग अभी तक नहीं किया गया था। उज्जैन नगर पालिक निगम के कार्यपालन यंत्री ने भी बताया कि इसकी क्षमता उज्जैन की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी तथा इसके चालू किए जाने के बाद से इसके रख रखाव के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था ।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखो में हमने यह भी पाया (अप्रैल 2013), कि आपदा सहायता राशि ₹ 3.40 करोड़ के अनुदान को ध्यान मे रखे बिना हीं राशि ₹ 15.67 करोड़[14] नगर पालिक निगम उज्जैन को ऋण के रूप में जारी किए गये ।

आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन एवं परियोजना के कार्यपालन यंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि जल आपूर्ति हेतु बिछाई गई पाईप लाइन का भविष्य में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नगर पालिक निगम उज्जैन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अदूरदर्शी एवं निस्तेज सोच के कारण ऋण के अंतर्गत अस्थाई प्रकृति के निर्माण कार्य कराया गया जो निष्फल रहा तथा निगम पर ₹ 15.67 करोड़ का दायित्व निर्मित हुआ।

प्रकरण शासन के पास भेजा गया (जून 2012, जनवरी 2013 तथा मई 2013) उत्तर अभी प्रतीक्षित रहा।

3.4 राजस्व की हानि ₹ 7.90 करोड़

भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र के अन्तर्गत दूरसंचार/मोबाईल टॉवर स्थापित किए जाने हेतु दूरसंचार कंपनियों से शुल्क की वसूली न किए जाने से राजस्व हानि राशि ₹ 7.90 करोड़

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132(4)(सी) के अनुसार, नगर के भीतर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय या कला का व्यापार करता है तो उनपर निगम द्वारा कर अधिरोपित किया जा सकेगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार/मोबाईल टॉवर्स की अनुमति के संबंध में निर्देश (मार्च 2002) जारी किए गये थे, जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि संबंधित कंपनियों से अनुमति शुल्क के रूप में ₹ 20,000 प्रति टॉवर लिए जायें ।

नगर पालिक निगम भोपाल के दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉवर्स (टीआईटी) स्थापना संबंधी अभिलेखों के परीक्षण में देखा गया कि नगर पालिक निगम भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत

[14] ₹ 5.00 करोड़ देयक क्र. 563 दिनांक 5.3.09 + ₹ 5.00 करोड़ देयक क्र. 610 दिनांक 23.3.09 +₹ 5.67 करोड़ देयक क्र. 91 दिनांक 19.6.09

विभिन्न दूर संचार कंपनियो ने जुलाई 2012 तक 654 टीआईटी (प्राधिकृत–259 तथा अप्राधिकृत–395) स्थापित किए । विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।
हमने देखा कि 395 अप्राधिकृत टीआईटी के नियमितीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई । परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 79 लाख[15] (₹20000 x 395 टीआईटी), संबंधित दूरसंचार कंपनियों से वसूली नहीं की जा सकी।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल ने बताया कि मेयर– इन–कॉउंसिल में प्रस्ताव पारित होने तथा शासन से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात कदम उठाये जायेंगे ।

इस संबंध मे पुनः जानकारी एकत्रित करने पर देखा (अप्रैल 2013) गया कि टीआईटी के अनुमति एवं प्राधिकरण हेतु राजपत्र में अधिसूचना अक्टूबर 2012 में जारी की गई। इस अधिसूचना के नियम 5 एवं 20 के अनुसार टीआईटी के नियमितीकरण के पूर्व शुल्क के रूप में ₹ 2.00 लाख लिए जाने थे तथा अप्राधिकृत टीआईटी को अधिकतम 3 माह की समयावधि (आवेदन अवधि दो माह तथा प्रक्रिया हेतु एक माह) में नियमितीकरण किया जाना था। परंतु उक्त तीन माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद किसी भी अप्राधिकृत टीआईटी का नियमितीकरण नहीं किया गया। फलस्वरूप नवीन नियमानुसार ₹ 7.90 करोड (₹ 2.00 लाख x 395 टीआईटी) वसूल नहीं किए जा सके।

प्रकरण (दिसंबर 2012, फरवरी 2013 तथा मई 2013) में शासन के ध्यान में लाया गया परंतु उत्तर अभी तक प्रतीक्षित रहा।

[15] 395 टी.आई.टी × ₹ 20,000=₹ 79,00,000 जुलाई 2012 तक